न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, खगड़िया।

आपराधिक पुनरीक्षण वाद संख्या-35/2026
(नेट नं0-35/2026)
(खगड़िया (मुफ्फसिल) काण्ड सं0-49/2013)
जी0आर0 सं0-155/2013

उपस्थित
संजय कुमार-II,
जिला एवं अपर सत्र न्या0-प्रथम,
खगड़िया।

प्रभाष चौधरी ..... पुनरीक्षणकर्ता

बनाम्

बिहार सरकार ..... विपक्षी।

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से :- श्री संतोष कुमार, विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षी की ओर से :- श्रीमती रंजना, विद्वान अपर लोक अभियोजक।

आदेश

07.08.2026

1. यह अपराधिक पुनरीक्षण आवेदन, जी0आर0 सं0-155/2013 में दिनांक 13.04.2026 को विद्वान न्यायिक दण्डा0 प्रथम श्रेणी, श्री अविनाश चन्द्रा, खगड़िया के पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

2. इस अपराधिक पुनरीक्षण आवेदन में मुख्य रूप से कथन किया गया है कि आवेदक जब्त हथियार का वैध अनुज्ञप्तिधारी है, जो कि जी0आर0 सं0-155/2013 खगड़िया (मुफ्फसिल) काण्ड सं0-49/2013 अन्तर्गत धारा-25(1-b)a, 26/35 शस्त्र अधिनियम में निरंजन चौधरी एवं अन्य के विरूद्ध पंजीकृत है, जिसमें उक्त हथियार पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। अनुसंधान के पश्चात् अंतिम प्रपत्र समर्पित किया गया है। अनुसंधान के दौरान काण्ड दैनिकी की कंडिका-59 में आवेदक के वैध हथियार के लाईसेंस की पुष्टि की गयी है, लेकिन आवेदक जी0आर0 सं0-155/2013 में अभियुक्त नहीं बनाया गया है। आवेदक के द्वारा दिनांक 21.01.2025 को जब्त हथियार को मुक्त करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया, जिसमें विद्वान न्या0 दण्डा0 प्रथम श्रेणी, खगड़िया द्वारा पुलिस से प्रतिवेदन की माँग किया गया। पुलिस के द्वारा प्रतिवेदन

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, खगड़िया।

आपराधिक पुनरीक्षण वाद संख्या-35/2026
(नेट नं0-35/2026)
(खगड़िया (मुफ्फरिल) काण्ड सं0-49/2013)
जी0आर0 सं0-155/2013

उपस्थित
संजय कुमार-II,
जिला एवं अपर सत्र न्या0-प्रथम,
खगड़िया।

लगातार
07.08.2026

दिनांक 22.07.2025 को दाखिल किया गया है। विद्वान् न्या0 दण्डा0 प्रथम श्रेणी, खगड़िया द्वारा पुनः जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, खगड़िया से प्रतिवेदन की माँग की गयी, जिसमें जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 06.04.2026 को समर्पित किया गया। विद्वान न्या0 दण्डा0 द्वारा सुनवाई के पश्चात् मनमाने ढंग से दाखिल आवेदन को खारिज कर दिया गया। विद्वान् न्या0 दण्डा0 प्रथम श्रेणी, खगड़िया द्वारा पारित आदेश विधि एवं तथ्य के अनुसार पोषणीय नहीं है। विद्वान न्या0 दण्डा0 के द्वारा पारित आदेश में दं0प्र0सं0 की धारा-451 का उपेक्षा किया गया है। विद्वान न्या0 दण्डा0 द्वारा यह गलत कहा गया है कि जब्त हथियार आवेदक का नहीं है, जबकि आवेदक उक्त हथियार का वैध अनुज्ञप्तिधारी है। आवेदक का हथियार लवारिस हालत में थाना में पड़ा हुआ है तथा हथियार जब्त होने के कारण नवीनीकरण नहीं हो सका है। हथियार के अनुज्ञप्ति की नवीनीकरण हेतु शस्त्र दण्डा0, खगड़िया के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। हथियार जब्त होने के कारण वह शस्त्र दण्डा0, खगड़िया के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पा रहा है। विद्वान् न्या0 दण्डा0 प्रथम श्रेणी, खगड़िया द्वारा पारित आदेश तर्कसंगत नहीं है और आपास्त किये जाने योग्य है। आवेदक का हथियार जब्त होने के कारण स्वाभाविक रूप से क्षय हो रहा है। आवेदक न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार है। अतः विद्वान न्या0 दण्डा0, खगड़िया के आदेश को खारिज किये जाने एवं पुनरीक्षणकर्ता के पक्ष में जब्त हथियार को मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाय।

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, खगड़िया।

आपराधिक पुनरीक्षण वाद संख्या-35/2026
(नेट नं0-35/2026)
(खगड़िया (मुफ्फसिल) काण्ड सं0-49/2013)
जी0आर0 सं0-155/2013

उपस्थित
संजय कुमार-II,
जिला एवं अपर सत्र न्या0-प्रथम,
खगड़िया।

लगातार
07.08.2026

3. विपक्षी राज्य की ओर से मौखिक रूप से कहा गया है कि पुनरीक्षणकर्ता की ओर से दाखिल यह पुनरीक्षण वाद कानून की नजर में पोषणीय नहीं है। विद्वान न्या0 दण्डा0 प्रथम श्रेणी, खगड़िया द्वारा पारित किया गया आदेश विधि-सम्मत है। अतः पुनरीक्षणकर्ता के इस पुनरीक्षण को खारिज किये जाने तथा प्रश्नगत आदेश को सम्पुष्ट किये जाने का कथन किया गया ।

4. अब इस न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह है कि क्या विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, खगड़िया के द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.04.2026 वैध/सही है या अनियमितता /अवैध रूप से पारित किया गया है या नहीं ?

5. उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् मूल अभिलेख एवं प्रश्नगत आदेश दिनांक 13.04.2026 का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि आवेदक जब्त हथियार का वैध अनुज्ञप्तिधारी है, लेकिन उसके अनुज्ञप्ति को नवीनीकरण नहीं होने के कारण निलम्बित किया गया है। आवेदक जी0आर0 सं0-155/2013 में अभियुक्त नहीं है और न ही जब्त हथियार से जी0आर0 सं0-155/2013 में कोई अपराध कारित किया गया है। आवेदक का हथियार मुफ्फसिल थाना में जब्त है, जिसका ठीक से देखभाल नहीं होने के कारण क्षरण हो रहा है। आवेदक के पास जब्त हथियार का वैध लाईसेंस है, केवल नवीनीकरण नहीं होने के कारण उसे निलम्बित किया गया है। विद्वान् न्या0 दण्डा0 प्रथम श्रेणी, खगड़िया के द्वारा पारित आदेश में दं0प्र0सं0 की धारा-451 पर

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, खगड़िया।

आपराधिक पुनरीक्षण वाद संख्या-35/2026
(नेट नं0-35/2026)
(खगड़िया (मुफ्फसिल) काण्ड सं0-49/2013)
जी0आर0 सं0-155/2013

उपस्थित
संजय कुमार-II,
जिला एवं अपर सत्र न्या0-प्रथम,
खगड़िया।

लगातार
07.08.2026

ध्यान नहीं दिया गया है। साथ ही, अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों का भी उपेक्षा किया गया।

6. अतः उपरोक्त विवेचित तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, खगड़िया के द्वारा जी0आर0 सं0-155/2013 दिनांक 13.04.2026 के आदेश को अपास्त किया जाता है तथा इस पुनरीक्षण आवेदन को **निस्तारित** किया जाता है एवं विद्वान् न्या0 दण्डा0 प्रथम श्रेणी, खगड़िया को निर्देश दिया जाता है कि अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों एवं दं0प्र0सं0 की धारा-451 को ध्यान में रखते हुए पुनः आदेश पारित करें। इस आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें तथा निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख वापस लौटायें एवं अभिलेख नियमानुकूल अभिलेखागार में जमा करें।

(लेखापित एवं संशोधित)
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
खगड़िया।

Date of Judgement/Order	17-08-2026
Date of Reserving Judgement/Order	—
Uploading Date	22-08-2026
Uploading by	Sushant Kumar (D.E.O.)